राष्ट्रीय लोक अदालत 2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज)
(बईजलास राजेश डागा आर0 ए0 एस0)

दावा संख्या :–110 / 22 निर्णय दिनाक 11.02.2023
जीसीएमएसः–2022 / 236

1. नन्दकिशोर पुत्र रामनारायण
2. कस्तूरीबाई बेवा रामनारायण
3. रामप्यारी पुत्री राम नारायण
4. कंचनबाई पुत्री रामनरायण
5. संजूबाई पुत्री रामनारायण जाति मेहर निवासी ग्राम कचोलिया तहसील कनवास जिला कोटा।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज।

प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–
वादी की ओर से :– एडवोकेट श्री रेवती रमण नागर।
प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट</u>

निर्णय

वादी के द्वारा अन्तर्गत धारा 88 89 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि वादीगण 1 व 3 4 5 के पिता व वादी न 2 के पति स्वर्गिय श्री रामनारायण पुत्र मांगीलाल के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम गरडाना तहसील कनवास में स्थित है जिसके वर्तमान खाता न नया 169 है जिसकी खसरा न 708 की रकबा 3.49 है आराजी है उक्त आराजी में स्वर्गिय रामनारायण जी का 1 / 5 हिस्सा निहित है तथा सहखातेदार गोपीबाई पत्नि स्वगिय मांग्य जी का भी 1 / 5 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है वादीगण के पिता व प्रति रामनारायण जी की उपरोक्त आराजी के अलावा माल ग्राम कचोलिया में भी नया खाता न 52 की खसरा न 169 रकबा 0.54 है खसरा न 94 रकबा 1.82 है खसरा न 94 / 225 की रकबा 0.01 है कुल किता 3 की 2.37 है आराजी स्थित है जिसमें स्वर्गिय रामनारायण जी का 1 / 4 हिस्सा निहित है।

माल ग्राम गरडाना की आराजी में वादीगण के पित रामनाराया व रामनारायण जी की माता गोपी ब्राई पत्नि मोंग्या की जाति कोली दर्ज है जबकि रामनारायण जी की जाति मेहर है जो राजस्व रेकार्ड नकल जमाबंदी माल ग्राम कचौलिया की जमाबदी में दर्ज है।

वादीगण के पिता रामनारायण जी की मृत्यु दिनांक 17.05.2021 को हो जाने के बाद वादीगण स्वर्गिय रामनारायण जी का फौती इंतकाल खुलवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये तो हलका पटवरी ने कहा कि खाते में रामनारायण जी की जाति कोली दर्ज है इस कारण इनका फौती इंतकाल नही खुल सकता तथा दूसरे गोव माल ग्रम कचौलिया में भी वादीगण के द्वारा इंतकाल नही खुलवाया और पहले माल ग्राम गरडाना की आराजी में इनद्राज दुरस्त करवाकर तथा दोनों ही गोंवो की आराजी में रामनारायण जी के स्थान पर खुद को खातेदार घोषित करवाना आवश्यंक हो गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

राष्ट्रीय लोक अदालत 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज)

(बईजलास राजेश डागा आर0 ए0 एस0)

दावा संख्या :–110/22 निर्णय दिनाक 11.02.2023

जीसीएमएसः–2022/236

1. नन्दकिशोर पुत्र रामनारायण
2. कस्तूरीबाई बेवा रामनारायण
3. रामप्यारी पुत्री राम नारायण
4. कंचनबाई पुत्री रामनरायण
5. संजूबाई पुत्री रामनारायण जाति मेहर निवासी ग्राम कचोलिया तहसील कनवास जिला कोटा।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज।

प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

वादी की ओर से :– एडवोकेट श्री रेवती रमण नागर।

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट</u>

निर्णय

वादी के द्वारा अन्तर्गत धारा 88 89 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि वादीगण 1 व 3 4 5 के पिता व वादी न 2 के पति स्वर्गिय श्री रामनारायण पुत्र मांगीलाल के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम गरडाना तहसील कनवास में स्थित है जिसके वर्तमान खाता न नया 169 है जिसकी खसरा न 708 की रकबा 3.49 है आराजी है उक्त आराजी में स्वर्गिय रामनारायण जी का 1/5 हिस्सा निहित है तथा सहखातेदार गोपीबाई पत्नि स्वगिय मांग्य जी का भी 1/5 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है वादीगण के पिता व प्रति रामनारायण जी की उपरोक्त आराजी के अलावा माल ग्राम कचोलिया में भी नया खाता न 52 की खसरा न 169 रकबा 0.54 है खसरा न 94 रकबा 1.82 है खसरा न 94/225 की रकवा 0.01 है कुल किता 3 की 2.37 है आराजी स्थित है जिसमें स्वर्गिय रामनारायण जी का 1/4 हिस्सा निहित है।

माल ग्राम गरडाना की आराजी में वादीगण के पित रामनाराया व रामनारायण जी की माता गोपी ब़ाई पत्नि मोंग्या की जाति कोली दर्ज है जबकि रामनारायण जी की जाति मेहर है जो राजस्व रेकार्ड नकल जमाबंदी माल ग्राम कचौलिया की जमाबदी में दर्ज है।

वादीगण के पिता रामनारायण जी की मृत्यु दिनांक 17.05.2021 को हो जाने के बाद वादीगण स्वर्गिय रामनारायण जी का फौती इंतकाल खुलवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये तो हलका पटवरी ने क़हा कि खाते में रामनारायण जी की जाति कोली दर्ज है इस कारण इनका फौती इंतकाल नही खुल सकता तािा दूसरे गोव माल ग्रम कचौलिया में भी वादीगण के द्वारा इंतकाल नही खुलवाया और पहले माल ग्राम गरडाना की आराजी में इनद्राज दुरस्त करवाकर तथा दोनों ही गोंवो की आराजी में रामनारायण जी के स्थान पर खुद को खातेदार घोषित करवाना आवश्यंक हो गया।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

र किया गया दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलवी जर्ये सम्मन की वादी क्रम 1 के सम्मन बाद तामिल प्रांप्त जो शामिल पत्रावली किया पत्रावली पर जवाब कार लिया गया पत्रावली आज राष्टीय लोक अदालत कनवास पर पेश हुई वकील मय वादी उप पत्रावली जवाब सरकार में नियत होने पर जवाब सरकार में नियत होने पर जवाब सरकार तहसीलदार कनवास के पत्र कमाक 732 दिंनाक 03.02.2023 सेजवाब सरकार पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली सुनवाई हेतु राष्टीय लोक अदालत में नियत की गई पत्रावली पर प्रस्तुत जवाब सरकार में वादी को वाद का कोई खंडन या विरोध नही किया गया ऐसी सूरत में पत्रावली पर तनकी कायम किये जाने की आवश्यकता नही होने से पत्रावली पर बहस वादी सुनी गई बहस में वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया वादीगण 1 व 3 4 5 के पिता व वादी न 2 के पति स्वर्गिय श्री रामनारायण पुत्र मांगीलाल के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम गरडाना तहसील कनवास में स्थित है जिसके वर्तमान खाता न नया 169 है जिसकी खसरा न 708 की रकबा 3.49 है आराजी है उक्त आराजी में स्वर्गिय रामनारायण जी का 1/5 हिस्सा निहित है तथा सहखातेदार गोपीबाई पत्नि स्वगिय मांग्य जी का भी 1/5 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है उपरोक्त वण्रित अराजी में वादीगण के पिता स्व रामनारायण व रामनारायण जी की माता गोपीबाई पत्नि मोग्या की जाति कोली दर्ज है जबकि ग्राम कचोलिया की आराजी की जमाबंदी मे रामनारायण जी की जाति मेहर दर्ज है अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र के पेरा न 1 में वर्णित आराजी माल ग्राम गरडाना तहसील कनवास की खसरा न 708 की रकबा 3.49 है आराजी में इन्द्राज दुरस्त की डिकी परित की जाकर जाति कोली के स्थान पर मेहर दर्ज की जावे तथा उपरोक्त अराजी में ग्रमम गरडाना पटवार हल्का देवली तहसील कनवास की आराजी खसरा न 708 की आराजी में स्वं रामनारायण के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाये। तथा इसी प्रकार ग्राम कचोलिया पटवार हलका बालूहेडा तहसील कनवास में स्थित आराजी खसरा न 169 की 0.54 है खसरा न 94 की 1.82 है खसरा न 94/225 की रकबा 2.37 है मे स्वगीय रामनारायण पुत्र मांगीलाल के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने की डिकी पारित की जाये। बहस वादी सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया साथ ही पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया वादी के उजरात सही प्रतीत होते है। वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद डिकी योग्य पाये जाने पर वादी का वाद डिकी किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम गरडाना पटवार हल्का देवली तहसील कनवास की आराजी खसरा न 708 की रकबा 3.49 है0 आराजी में जाति कोली के स्थान पर मेहर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी में खातेदार स्व0 रामनारायण पुत्र मोग्या के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है एवं इसी प्रकार ग्राम कचोलिया पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास की आराजी खसरा न 169 /0.54 है खसरा न0 94/1.82 है खसरा न0 94/225 की 0.01 है कुल किता 3 की 2.37 है0 आराजी मे स्व0 रामनारायण पुत्र मांगीलाल के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजेश डागा(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा